

शाही परंपरा के साथ शान से नगर परिक्रमा को निकली गणगौर माता की सवारी



उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को जनानी ड्योढ़ी में विधि-विधान से गणगौर माता की पूजा-अर्चना की।



गणगौर माता की सवारी को देखने के लिये जयपुर शहर के परकोटे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

जयपुर। राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर महोत्सव 2025 इस बार और भी भव्यता के साथ मनाया गया। त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे के साथ निकली गणगौर माता की सवारी ने समूचे शहर को उत्सवमय बना दिया। देशी-विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ इस ऐतिहासिक सवारी को देखने के लिए उमड़ी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव किया।

इस वर्ष पहली बार सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेशभर में लगी 200 एलईडी स्क्रिन्स के माध्यम से गणगौर महोत्सव का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे वे श्रद्धालु भी इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन सके जो स्वयं सवारी में सम्मिलित नहीं हो पाए। इसके अलावा, पर्यटन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस आयोजन का लाइव प्रसारण किया गया।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उषेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर के पूर्व राजपरिवार की महिला सदस्यों ने जनानी ड्योढ़ी में विधि-विधान से गणगौर माता की पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात गणगौर माता की सवारी निकली, जिसे पूर्व राजपरिवार के महाराज सवाई पद्मनाभ सिंह ने त्रिपोलिया गेट पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद नगर

भक्तिमय बना दिया। इस बार शोभायात्रा में लोक कलाकारों की संख्या को बढ़ाकर 250 कर दिया गया। पुलिस बंद और घूमर नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अरवाड़ा संप्रदाय के अनुयायियों ने अपनी विशेष पारंपरिक प्रस्तुति दी। गणगौर माता के स्वागत हेतु तीन भव्य मंच तैयार किए गए। दो मंचों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुईं, जबकि तीसरे मंच पर व्यापार मंडल के सदस्य और महिलाएं माता की पूजा और पुष्पवर्षा करतीं दिखीं। पुलिस बंद और घूमर नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पर्यटकों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई। ड्रोन के माध्यम से पुष्पवर्षा कर माता की शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभायात्रा के समापन पर तालकटोरा में राजस्थानी लोक कलाकारों ने विशेष प्रस्तुतियां दीं।

हिन्दू होटल टैरिस पर 500 पर्यटकों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें 200-300 विदेशी पर्यटकों के लिए अतिरिक्त स्थान निर्धारित किया गया। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उषेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने और इसे वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गणगौर महोत्सव न केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह देश-विदेश के पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी एक अनूठा माध्यम बन रहा है।

बुर्द कर दिया गया। बिल्डर द्वारा लोन को ना चुकाये जाने पर प्रोजेक्ट को बिल्डिंग को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया गया व आवंटियों के फ्लैटों को नीलामी कर राशि वसूलने का प्रयास किया गया। आवंटियों की शिकायतों पर रैरा द्वारा बैंक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेकर इमारत को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस आदेश को अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गयी। जिसने अधिकरण ने यह माना की आवंटनी सफ़ल स्थित आवासीय बिल्डिंग सनराइजर्स के संदर्भ में दिए। बिल्डिंग के आवंटियों की ओर से अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि सनराज प्रोजेक्ट एसएनजी रियल एस्टेट की ओर से साल 2014 में शुरू किया गया था। जिसमें फ्लैट बुल करवाकर आवंटियों ने करोड़ों रूपए का भुगतान बिल्डर को कर दिया। वहीं कई आवंटियों ने बैंकों से लोन भी लिया। वहीं साल 2016 में बिल्डर ने आन्ध्रा बैंक में प्रोजेक्ट को बिल्डिंग को गिरवी रखकर 15 करोड़ रूपए का लोन ले लिया और बाद में लोन राशि को खुर्द-

‘बिल्डर व बैंक की मिलीभगत से आवंटियों के हित नहीं होंगे प्रभावित’

जयपुर। राजस्थान रैरा अपीलेंट अधिकरण ने यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया व जमीन मालिक की ओर से दायर की गयी अपील याचिका को खारिज कर रैरा के आदेश को यथावत रखा गया। अधिकरण ने माना की यदि बैंक द्वारा बिल्डर से मिलीभगत कर गलत तरीके से प्रोजेक्ट पर लोन स्वीकृत किया है तो इससे आवंटियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी युधिष्ठिर शर्मा एवं राजेन्द्र कुमार ने यह आदेश अहिंसा सफ़ल स्थित आवासीय बिल्डिंग सनराइजर्स के संदर्भ में दिए। बिल्डिंग के आवंटियों की ओर से अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि सनराज प्रोजेक्ट एसएनजी रियल एस्टेट की ओर से साल 2014 में शुरू किया गया था। जिसमें फ्लैट बुल करवाकर आवंटियों ने करोड़ों रूपए का भुगतान बिल्डर को कर दिया। वहीं कई आवंटियों ने बैंकों से लोन भी लिया। वहीं साल 2016 में बिल्डर ने आन्ध्रा बैंक में प्रोजेक्ट को बिल्डिंग को गिरवी रखकर 15 करोड़ रूपए का लोन ले लिया और बाद में लोन राशि को खुर्द-

मत्स्य जयंती का आयोजन

जयपुर। मत्स्य युवा मंच की ओर से मत्स्य जयंती के उल्लेख में, देरा श्री शिक्षण सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय में मीणा समाज द्वारा, श्री श्री 108 बालक दास महाराज के सानिध्य में मत्स्य जयंती का आयोजन किया गया। जिसमें जनवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, मीणा इतिहास लेखन, मीणा इतिहास को राजस्थान एजुकेशन बोर्ड में जोड़ने व जनजाति के विकास को लेकर युवाओं को शिक्षा और खेलों में आगे आने को कहा। वही कार्यक्रम में भाजपा वक्ता पंकज मीणा ने कहा कि मत्स्य जयंती पर अवकाश कि घोषणा कि जाये, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, प्रोफेसर सोहनलाल मीणा ने अपने विचार रखे। संत बाबक दास ने समाज को अपने धर्म, संस्कृति और अपनी परम्पराओं से जुड़े रहने के लिए कहा, उन्होंने कहा अगर युवाओं को संस्कार देने हैं और समाज का विकास करना है तो हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़े रहना होगा।

आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते पत्नी सहित विधवा चाची की हथौड़ा मारकर हत्या

जयपुर। करघनी थाना इलाके में सोमवार को एक युवक ने अपनी पत्नी सहित विधवा चाची की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। वहीं इसके बाद आरोपी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने बेटे पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बचकर बाहर भाग गया। इधर बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए और पूरा मंजर देख को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते

हत्या और आत्महत्या की वारदात की गई है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करघनी थाना इलाके के बेनाड स्टेशन निवासी पंकज कुमावत (36), उसकी पत्नी सुनीता कुमावत, विधवा चाची मधु कुमावत (55) और बेटे यांश (9) के साथ रहता था। आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते पंकज ने अपनी पत्नी और चाची की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पंकज कुमावत अटॉटी चलाता

हत्या करने के बाद आरोपी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पड़ोसियों ने घर में देखा तो फर्श पर खून से सनी दो लाशें पड़ी थीं और पंकज का शव फंदे से झूल रहा था। इस बाद पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना

को पकड़कर पीछे किया तो आरोपित पंकज ने चाची पर हथौड़े से वार कर दिया। मौका मिलने पर यांश घर से बाहर भाग गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे को चिल्लाता देख कर कॉलोनी के लोग दौड़ते हुए घर की तरफ आए। इसी दौरान पंकज ने कमरे में चुसकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पड़ोसियों ने घर में देखा तो फर्श पर खून से सनी दो लाशें पड़ी थीं और पंकज का शव फंदे से झूल रहा था। इस बाद पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना

किया। पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को मौके पर बुला कर मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका सुनीता कुमावत दो महीने की गर्भवती थी। वहीं आरोपी कुछ समय से परेशान चल रहा था। पुलिस टीम को सच के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मौके से आरोपी पंकज कुमावत, उसकी पत्नी और चाची के मोबाइल मोबाइल जब्त कर सीज कर लिए हैं। मोबाइल की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार सुबह मेडिकल बोर्ड से सभी का पोस्टमार्टम कर शव परिवर्जनों को सौंप दिए जाएंगे।

30 साल से बंद रास्ता खुला तो 10 कि.मी. कम हो गई लसाड़िया से चकवाड़ा की दूरी

डिस्कॉम से राज्य सेवा में आए कर्मचारी को भी मिले पे प्रोटेक्शन व पूर्व सेवा लाभ : हाईकोर्ट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर जिले में संचालित रास्ता खाले अभियान अब ग्रामीणों के लिए खरदान बनता जा रहा है। फागी के लसाड़िया पंचायत के गड्डा से चकवाड़ा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई तो करीब 5 हजार ग्रामीणों की राह आसान हो गई। प्रशासन ने ना केवल 30 साल पुराना रास्ता खुलवाया बल्कि इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाने का भी काम जारी है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवा से जुड़े मामले में कहा है कि डिस्कॉम से राज्य सेवा में आए कर्मचारी भी पूर्व सेवकों के लाभ व पे प्रोटेक्शन प्राप्त करने के हकदार है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को नियमित वेतन

श्रृंखला और उसकी जेबीवीएनएल में पूर्व में की गई सेवा का भी लाभ दें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश ममता सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता जोके जोशी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में जेबीवीएनएल में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त हुई थी। इसके बाद

में उसने राजकीय सेवा में भाग लिया और कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य के पद पर उसे नियुक्त दी गई, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को उसकी पूर्व में की गई सेवा का लाभ और पे प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि हनी सिंह चौहान के मामले में हाईकोर्ट कह चुका है कि अन्य सेवा से

राज्य की सेवा में आने पर भी कर्मचारी को पूर्व की सेवा के भी लाभ दिए जाएंगे। ऐसे में याचिकाकर्ता को पे प्रोटेक्शन से मना करना और पूर्व की सेवा के परिणाम नहीं देना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपौट ने याचिकाकर्ता को नियमित वेतन श्रृंखला और पूर्व सेवा का लाभ देने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उनके निवास पर श्री बड़ के बालाजी के 88वें वार्षिक मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न धार्मिक संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन किया। शर्मा से महामण्डलेश्वर मनोहरदास महाराज ने मुलाकात की। इस दौरान 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले सप्तदिवसीय

हनुमत् जन्मोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित होने वाली “एक जुलूस एक हम, आओ करे महावीर वन्दन” शोभायात्रा तथा श्री बड़ के बालाजी के 88वें वार्षिक मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया।

इस दौरान इन संगठनों ने अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए संगठनों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

बाबू वीर कुंवर सिंह शौर्य जयंती पर गुंजेगा सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का शौर्य प्रदर्शन

जयपुर। बिहार में पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक हवाई प्रदर्शन होने जा रहा है। यह आयोजन 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह शौर्य जयंती के अवसर पर गंगा पथ पर किया जाएगा। इस अभूतपूर्व आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 1 अप्रैल को पटना जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक पटना सामाहणालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वायुसेना, नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन को सुचारू रूप से संचालित करने और सुरक्षा-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने पर विस्तृत चर्चा होगी। सारण सांसद एवं पूर्व नागरिक विमानन मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य संयोजक हैं, ने बताया कि यह कार्यक्रम बिहार के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण होगा। उन्होंने कहा कि उनके विशेष आग्रह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन को



सारण सांसद एवं पूर्व नागरिक विमानन मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य संयोजक हैं, ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से बैठक की।

सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन की तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु उच्चस्तरीय बैठक

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करें : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान सेवा से हटाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम को निर्देश दिया है कि वे रामेश्वर लाल मीणा सहित अन्य को सेवा में सभी परिणाम सहित वापस बहाल करें। हालांकि अदालत ने इस संबंध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अधिकरण ने इन कर्मचारियों को बकाया वेतन का पचास फीसदी राशि का भुगतान करने को कहा था। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि बर्खास्तगी अवधि में वे बेरोजगार थे। ऐसे में नो वर्क-नो पे के सिद्धांत के तहत बकाया भुगतान नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम के निदेशक की याचिका पर दिया। मैनेजमेंट कमेटी के अधिवक्ता प्रतीक कायलीवाल ने बताया कि रामेश्वर लाल मीणा व

अन्य स्कूल के हॉस्टल मैस में कर्मचारी थे। कोविड के दौरान हॉस्टल और मैस को स्थाई रूप से बंद कर दिया गया और इन कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर दी गई। जिसे अधिकरण में कर्मचारियों ने यह कहते हुए चुनौती दी कि उन्हें हटाने से पूर्व शिक्षा निदेशक से मंजूरी नहीं ली गई। इस पर अधिकरण ने 27 सितंबर, 2023 को आदेश देते हुए कर्मचारियों को बहाल कर उन्हें हटाने की तारीख 8 मार्च, 2021 से पचास फीसदी वेतन देने को कहा। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के चलते उन्हें शिक्षा निदेशक से मंजूरी की जरूरत नहीं थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने को कहा है।